"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2002—पौष 7, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-94/2002/वाक/पांच (116).—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि :—

(1) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाइयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिनका कर-निर्धारण सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाना है;

(2) ऐसे व्यवसाइयों एवं उनके कर-निर्धारण प्रकरणों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप ऐसे व्यवसाइयों का उक्त अधिनियमों के अधीन कर-निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है;

(3) ऐसे सभी व्यवसाइयों जिनकी कर-निर्धारण कार्यवाहियां छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत कैलेन्डर वर्ष 2002 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कैलेन्डर वर्ष 2002 की समाप्ति के पूर्व पूर्ण किया जाना है;

(4) ऐसे सभी व्यवसाइयों का सही कर-निर्धारण गुण-दोष के आधार पर उक्त प्राधिकारियों द्वारा उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए किया जाना है;

(5) उक्त प्राधिकारियों द्वारा ऐसे कर-निर्धारण की कार्यवाहियों को कैलेन्डर वर्ष 2002 के अंत तक पूर्ण किये जाने के प्रयासों के उपरांत भी उक्त अवधि के अंत तक ऐसी कार्यवाहियां पूर्ण किया जाना संभव नहीं है;

(6) उपरोक्त कार्यवाहियों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है.

अत: छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रत्येक व्यवसाई के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर-निर्धारण कार्यवाहियां जो सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारियों एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के समक्ष लंबित हो, जो 31 दिसम्बर, 2002 तक पूर्ण नहीं की जाती हैं, पूर्ण करने की अवधि 31 जनवरी, 2003 तक बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-94/2002/वाक/पांच (116).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-94/2002/वाक/पांच (116), दिनांक 28 दिसंबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 28th December 2002

NOTIFICATION

No. F-10-94/2002/CT/V (116).—Whereas, the State Government is satisfied that :—

(I) There has been considerable increase in the number of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), who are to be assessed by Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officer and Assistant Commercial Tax Officer;

(II) There has been no increase in the number of authorities competent to make assessment of such dealers under the said Acts. commensurate with the increase in the number of such dealers and their assessment cases;

(III) The assessment proceedings of all such dealers due for completion by the end of the calendar year 2002 under the provisions of sub-section (8) of Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), have to be completed before the expiry of the calendar year 2002;

(IV) Correct assessment of such dealers, on merits have to be made by the said authorities after affording them a reasonable opportunity of being heard;

(V) Despite efforts being made by the said authorities to complete such assessment proceedings by the end of the calendar year 2002 such proceedings cannot be completed by end of the said period; and

(VI) The aforesaid proceedings need to be completed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby extends upto 31st January, 2003. the period for completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by the 31st December, 2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-95/2002/वाक/पांच (117).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक 1 जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2003 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अनु. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	इन्गॉट्स, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (iv) की श्रेणी (ii) में वर्णित है.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-95/2002/वाक/पांच (117).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-95/2002/वाक/पांच (117), दिनांक 28 दिसंबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 28th December 2002

NOTIFICATION

No. F-10-95/2002/CT/V (117).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest ;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from 1st January, 2003 to 31st March, 2003 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Ingots, as specified in category (ii) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 1%.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.